

मेसर्स जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी, न्हावा शेवा पोर्ट, तालुका उरण, नवी मुंबई के मल्टी प्रोडक्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए विकास आयुक्त, सीपज़ की अध्यक्षता में **28.10.2024** को द्वितीय तल सीपज़ सेवा केंद्र, सीपज़-सेज़, मुंबई में आयोजित अनुमोदन समिति की **57वीं बैठक** का कार्यवृत्त ।

Minutes of **57th Meeting** of the Approval Committee for Multi Sector Special Economic Zone of **M/s. Jawaharlal Nehru Port Authority**, Nhava Sheva Port, Taluka Uran, Navi Mumbai, under the Chairmanship of Development Commissioner, SEEPZ held on **28.10.2024**, at Second Floor SEEPZ Service Centre, SEEPZ SEZ, Mumbai.

1	सेज़ का नाम Name of the SEZ :	मेसर्स जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी- सेज़ M/s. Jawaharlal Nehru Port Authority- SEZ.
2	सेक्टर Sector :	मल्टी प्रोडक्ट Multi Product
3	बैठक संख्या Meeting No. :	57 वीं 57 th
4	दिनांक Date :	28.10.2024 28.10.2024

उपस्थित - सदस्य/ आमंत्रित/ Present - Members/ Invitee:

क्रमांक Sr. No.	सदस्यों का नाम Name of Members	पद का नाम Designation	संगठन Organization
1	श्री सीपीएस चौहान Shri. C. P. S. Chauhan	संयुक्त विकास आयुक्त, Jt. Development Commissioner,	सीपज़-सेज़ SEEPZ-SEZ
2	श्री लीडर पणिक्कर Shri. Leider Panicker	संयुक्त आयुक्त आयकर Joint Commissioner Income Tax	आयकर आयुक्त कार्यालय, मुंबई के नामिती Nominee of Commissioner of Income Tax office, Mumbai.
3	श्री हिमांशु धार पांडे Shri. Himanshu Dhar Pandey	उप निदेशक डीजीएफटी Deputy Director DGFT	अतिरिक्त डीजीएफटी, मुंबई के नामित Nominee of the Additional DGFT, Mumbai.
4	श्री विलाश कुमटकर Shri Vilash Kumatkar	औद्योगिक अधिकारी Industrial Officer	औद्योगिक विकास आयुक्त, जीओएम, मुंबई के नामित Nominee of Development Commissioner of Industrial, GoM, Mumbai
5	श्रीमती मीरा रामकृष्णन Mrs Meera Ramakrishnan	सहायक आयुक्त सीमा शुल्क Assistant Commissioner of Customs	सीमा शुल्क आयुक्त (सामान्य), एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, सहार, मुंबई के नामित Nominee of Commissioner of Customs (General), Air Cargo Complex, Sahar, Mumbai
6	डॉ प्रसाद वरवंटकर Dr. Prasad Varwantkar	उप विकास आयुक्त Deputy Development Commissioner	सीपज़-सेज़ SEEPZ-SEZ

<p>विशेष आमंत्रित सदस्य:-</p> <p>श्री मनीष कुमार, एडीसी (न्यू सेज़), श्रीमती रेखा नायर, एडीसी (न्यू सेज़) और श्री जी. एस. भंडारी, एडीसी (न्यू सेज़) बैठक में सहायता और सुचारु संचालन के लिए उपस्थित थे।</p>	<p>Special Invitee:-</p> <p>Shri. Manish Kumar, ADC (New SEZ), Smt. Rekha Nair, ADC (New SEZ) and Shri. G. S. Bhandari, ADC also attended for assistance and smooth functioning of the meeting.</p>
--	--

<p>कार्यसूची मद संख्या 01 : दिनांक 28.08.2024 को आयोजित 56वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि ।</p> <p>-----</p> <p>दिनांक 28.08.2024 को आयोजित 56वीं बैठक के कार्यवृत्त की सर्वसम्मति से पुष्टि की गई।</p>	<p>Agenda Item No. 01: Confirmation of Minutes of the 56th meeting held on 28.08.2024.</p> <p>-----</p> <p>The Minutes of the 56th Meeting held on 28.08.2024 were confirmed with consensus.</p>
<p>कार्यसूची मद संख्या 02: दिनांक 28.04.2022 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक के कार्यवृत्त के संबंध में दिनांक 07.06.2022 के अनुमोदन पत्र संख्या SEEPZ/NEWSEZ/JNPT-SEZ/SGPGPL/17/2021-22 में सुधार के लिए मेसर्स एसजी फार्मा का आवेदन (तालिका एजेंडा मद संख्या 2)।</p> <p>इकाई ने 28.04.2022 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक के कार्यवृत्त के संबंध में दिनांक 07.06.2022 के अनुमोदन पत्र में सुधार का प्रस्ताव दिया।</p> <p>बैठक में इकाई के प्रतिनिधि ने अनुरोध किया कि उन्हें दिनांक 07.06.2022 के उसी एलओए में विनिर्माण और व्यापार गतिविधि की अनुमति दी जाए।</p> <p>विचार-विमर्श के दौरान, यूनिट को यह सूचित किया गया कि लेखांकन और निगरानी में कठिनाई के कारण दोनों गतिविधियों को एक ही एलओए में मंजूरी नहीं दी जा सकती क्योंकि दोनों अलग-अलग ऑपरेशन हैं।</p> <p>उन्हें यह भी बताया गया कि एलओए की वैधता 06.06.2023 को समाप्त हो गई थी और उन्होंने विस्तार के लिए आवेदन नहीं किया था और इकाई की स्थापना के लिए कोई प्रक्रिया नहीं की थी।</p> <p>समिति ने कहा कि यदि उन्होंने वैध कारणों से विस्तार के लिए आवेदन नहीं किया है तो उनके एलओए को समाप्त माना जा सकता है।</p> <p>इकाई के प्रतिनिधि ने विनिर्माण और व्यापार उद्देश्यों के लिए अलग-अलग एलओए देने का अनुरोध किया। जहां तक एलओए की वैधता की समाप्ति का संबंध है, वे देरी को माफ करने और वैधता के विस्तार के लिए अनुरोध प्रस्तुत करेंगे।</p>	<p>Agenda Item No. 02 : Application of M/s. SG Pharma for correction in the Letter of Approval No. SEEPZ/NEWSEZ/JNPT-SEZ/SGPGPL/17/2021-22 dated 07.06.2022 w.r.t. Minutes of Meeting of Approval Committee held on 28.04.2022 (Table agenda item No.2)</p> <p>The unit proposed correction in the Letter of Approval dated 07.06.2022 with respect to Minutes of Meeting of Approval Committee held on 28.04.2022.</p> <p>The representative of the unit in the meeting requested that they may be granted Manufacturing and Trading Activity in the same LOA dated 07.06.2022.</p> <p>During the deliberation, it was informed to the unit that both the activities cannot be granted in single LOA due to difficulty in accounting & monitoring as the two are different operations.</p> <p>It was also informed them that the validity of the LOA had expired on 06.06.2023 and they had not applied for extension and had not undertaken any process for setting up of the unit.</p> <p>The Committee noted that their LOA may be considered as lapsed, if they had not applied for extension with valid reasons.</p> <p>The representative of the unit requested to grant separate LOA for Manufacturing and Trading purposes. As regards expiry of the validity of LOA they will submit the request for condonation of delay and extension of validity.</p>
<p>निर्णय:- समिति ने इकाई को देरी को माफ करने और एलओए की वैधता के विस्तार के साथ-साथ विनिर्माण और व्यापार गतिविधि के लिए अलग एलओए के अनुरोध के लिए एक पत्र प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।</p> <p>समिति ने प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ आवेदन जमा करने के अधीन व्यापारिक गतिविधि के लिए अलग एलओए जारी करने के अनुरोध पर विचार करने का निर्णय लिया।</p>	<p>Decision:- The Committee directed the unit to submit a letter requesting condonation of delay and for extension of validity of LOA as well as request for separate LOA for Manufacturing and Trading Activity.</p> <p>The Committee decided to consider the request for issue of separate LOA for trading activity subject to submission of application along with relevant documents.</p>
<p>कार्यसूची मद संख्या 03: ट्रेडिंग और वेयरहाउसिंग गतिविधियों के लिए मे. जेएनपीए एसईजेड में नई इकाई की स्थापना के लिए मे. शाह टीसी ग्लोबल एक्जिम एलएलपी का आवेदन।</p> <p>मेसर्स शाह टीसी ग्लोबल एक्जिम एलएलपी ने एजेंडे में दिए गए विवरण के अनुसार विभिन्न सक्रिय फार्मास्युटिकल सामग्रियों की प्रकृति में ट्रेडिंग और वेयरहाउसिंग गतिविधियों के लिए जेएनपीए-एसईजेड में एक नई इकाई स्थापित करने के लिए आवेदन किया था। 3000 वर्ग फुट का क्षेत्रफल, जिसमें 2685.00 लाख रुपये के निर्यात का एफओबी मूल्य, 1707.50 लाख रुपये का एफई व्यय और 12 (10 पुरुष एवं 02 महिलाएं) लोगों के रोजगार सृजन के साथ 5 वर्षों की अवधि में 977.50 लाख रुपये का एनएफई शामिल है।</p>	<p>Agenda Item No. 03: Application of M/s Shah TC Global Exim LLP for setting up of New Unit at M/s. JNPA -SEZ for Trading and Warehousing Activities.</p> <p>M/s Shah TC Global Exim LLP had applied for setting up of a new unit at JNPA-SEZ for Trading and Warehousing Activities in nature of various Active Pharmaceutical Ingredients as per details in agenda. The area admeasuring 3000 Sq. Ft., envisaging FOB value of exports of Rs. 2685.00 Lakhs, FE outgo of Rs. 1707.50 Lakhs and NFE of Rs. 977.50 Lakhs over a period of 5 years with employment generation of 12 nos. (10 Men & 02 Women).</p>

<p>निर्णय:- विचार-विमर्श के बाद, समिति ने वेयरहाउस नंबर 1 में 1500 वर्ग फीट और वेयरहाउस नंबर 2 और 4 में 1500 वर्ग फीट पर ट्रेडिंग यूनिट NSBP-FTWZ, JNPA-SEZ, ग्राम -सावरखर, तालुका - उरण, जिला - रायगढ़ महाराष्ट्र 400707 की नई इकाई स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी शर्तों के अधीन दे दी कि आवेदक कंपनी न्यूनतम 25% (जैसा कि बैठक के दौरान उनके द्वारा प्रतिबद्धता व्यक्त की गई थी) निर्यात करेगी और निर्देश संख्या 117 दिनांक 24.09.2024 के अनुपालन के अधीन होगी।</p> <p>सह-डेवलपर को एक नक्शा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था जिसमें यूनिट को आवंटित की जाने वाली सटीक जगह और अनुमोदन समिति की मंजूरी के बिना किसी भी अधिकृत संचालन के लिए यूनिट द्वारा उपयोग की जाने वाली कोई अन्य जगह न हो।</p> <p>आवेदक को वेयरहाउसिंग के किसी भी संचालन से पहले सभी ग्राहकों के केवाईसी को पूरा करने के लिए निर्देशित किया गया था।</p>	<p>Decision:- After deliberation, the Committee approved the proposal for setting up of new unit of Trading unit at 1500 Sq. Ft. in warehouse No.1 and 1500 Sq. ft. warehouse no. 4 at Warehouse no.2 & 4, NSBP-FTWZ, JNPA-SEZ, Village-Sawarkhar, Taluka-Uran, District-Raigad, Maharashtra-400707 subject to the condition that the applicant company shall carry out minimum Export of 25% (as committed by them during the meeting) and subject to compliance of Instruction No. 117 dated 24.09.2024.</p> <p>The Co-Developer was directed to submit a map showing the exact space being allotted to the unit and no other space to be utilized by the unit for any of the authorized operations without approval of Approval Committee.</p> <p>The applicant was further directed to subject the KYC of all clients before undertaking any operations of warehousing.</p>
<p>कार्यसूची मद संख्या 04: अर्शिया एफटीडब्ल्यूजेड से जेएनपीए-एनएसबीपी तक माल के हस्तांतरण के लिए अनुरोध।</p> <p>मैसर्स ग्लोबल पावर सोर्स पीटीई लिमिटेड और मैसर्स गुडपैक आईबीसी (सिंगापुर) पीटीई लिमिटेड, मैसर्स अर्शिया लॉजिस्टिक्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का ग्राहक है। लिमिटेड, पनवेल ने अर्शिया एफटीडब्ल्यूजेड से जेएनपीए-एनएसबीपी एफटीडब्ल्यूजेड में माल के हस्तांतरण का प्रस्ताव दिया है।</p>	<p>Agenda Item No. 04: Request for transfer of goods from Arshiya FTWZ to JNPA-NSBP FTWZ.</p> <p>M/s. Global Power Source PTE Ltd. and M/s Goodpack IBC (Singapore) PTE Limited a client of M/s Arshiya Logistics Services Pvt. Ltd., Panvel has proposed the transfer of goods from Arshiya FTWZ to JNPA-NSBP FTWZ.</p>
<p>निर्णय:- विचार-विमर्श के बाद समिति ने मैसर्स के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। अर्शिया एफटीडब्ल्यूजेड से जेएनपीए-एनएसबीपी एफटीडब्ल्यूजेड तक माल के हस्तांतरण के लिए ग्लोबल पावर सोर्स पीटीई लिमिटेड और मैसर्स गुडपैक आईबीसी (सिंगापुर) पीटीई लिमिटेड इस शर्त के अधीन हैं कि माल को निवारक अनुरक्षण के तहत स्थानांतरित किया जाएगा और एस.ओ इसकी निगरानी करेगा और सुनिश्चित करेगा कि सामान को जीआईएस प्रणाली के साथ लगे जीपीएस सक्षम वाहन ट्रैकिंग सिस्टम में स्थानांतरित किया जाता है।</p> <p>यह अनुमति अर्शिया एफटीडब्ल्यूजेड में मौजूदा लॉजिस्टिक्स मुद्दों के कारण एकमुश्त उपाय के रूप में दी गई है।</p>	<p>Decision:- After deliberation, the Committee approved the proposal of M/s. Global Power Source PTE Ltd. and M/s Goodpack IBC (Singapore) PTE Limited for transfer of goods from Arshiya FTWZ to JNPA-NSBP FTWZ subject to the condition that the goods will be transferred under preventive escort and S.O will supervise and will ensure that the goods are transferred in a GPS enabled vehicle tracking system mounted with GIS system.</p> <p>This permission is granted as a onetime measure due to existing logistics issues at Arshiya FTWZ.</p>
<p>कार्यसूची मद संख्या 05: मैसर्स जेएनपीए-एसईजेड में वेयरहाउसिंग के लिए नई इकाई की स्थापना के लिए मैसर्स स्कोप लॉजिस्टिक्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का आवेदन।</p> <p>मैसर्स स्कोप लॉजिस्टिक्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने 5000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में वेयरहाउसिंग के लिए जेएनपीए-एसईजेड एनएसबीपी एफटीडब्ल्यूजेड में एक नई इकाई स्थापित करने के लिए आवेदन किया है। 5 साल की अवधि में 07 (05 पुरुष एवं 02 महिलाएं) रोजगार सृजन के साथ 550.00 लाख रुपये के निर्यात का एफओबी मूल्य, 15 लाख रुपये का एफई आउटगो और 535.00 लाख रुपये का एनएफई की परिकल्पना की गई है।</p>	<p>Agenda Item No. 05: Application of M/s. Scope Logistics Services Private Limited for setting up of New Unit in M/s. JNPA-SEZ for Warehousing.</p> <p>M/s. Scope Logistic Services Private Limited have applied for setting up of a new unit at JNPA-SEZ NSBP FTWZ for Warehousing in the area admeasuring 5000 Sq. Ft., envisaging FOB value of exports of Rs. 550.00 Lakhs, FE outgo of Rs. 15 Lakhs and NFE of Rs. 535.00 Lakhs over a period of 5 years with employment generation of 07 nos. (05 Men & 02 Women).</p>
<p>निर्णय:- विचार-विमर्श के बाद, समिति ने एजेंडे में उल्लिखित वस्तुओं के लिए भंडारण गतिविधियों के लिए एक नई इकाई स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी और फॉर्म एफ के अनुसार इस शर्त के अधीन कि आवेदक कंपनी आयातित माल का 50% निर्यात करेगी (जैसा कि उनके द्वारा प्रतिबद्ध था) बैठक) और निर्देश संख्या 117 दिनांक 24.09.2024 में निर्धारित दिशानिर्देशों और FTWZ के संबंध में DC SEEPZ द्वारा जारी दिशानिर्देश का अनुपालन करेगा।</p> <p>सह-डेवलपर को एक नक्शा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था जिसमें यूनिट को आवंटित की जाने वाली सटीक जगह और अनुमोदन समिति की मंजूरी के बिना किसी भी अधिकृत संचालन के लिए यूनिट द्वारा उपयोग की जाने वाली कोई अन्य जगह न हो।</p> <p>आवेदक को वेयरहाउसिंग के किसी भी संचालन से पहले सभी ग्राहकों के केवाईसी को पूरा करने के लिए निर्देशित किया गया था।</p>	<p>Decision:- After deliberation, the Committee approved the proposal for setting up of a new unit for warehousing activities for items mentioned in agenda and as per the Form F subject to condition that the applicant company shall Export 50% of the goods Imported (as committed by them during the meeting) and shall comply with the guidelines prescribed in the Instruction No. 117 dated 24.09.2024 and guideline issued by the DC SEEPZ regarding FTWZ.</p> <p>The Co-Developer was directed to submit a map showing the exact space being allotted to the unit and no other space to be utilized by the unit for any of the authorized operations without approval of Approval Committee.</p> <p>The applicant was further directed to subject the KYC of all clients before undertaking any operations of warehousing.</p>

कार्यसूची मद संख्या 06: एनएसबीपी एफटीडब्ल्यूजेड, जेएनपीए एसईजेड में एक नई ट्रेडिंग यूनिट स्थापित करने के लिए मे. राइजिंग इंडिया का आवेदन।

मे. राइजिंग इंडिया ने 67423.06 लाख रुपये के निर्यात के एफओबी मूल्य की परिकल्पना करते हुए 3000 वर्ग फीट के क्षेत्र में ट्रेडिंग गतिविधि के लिए जेएनपीए-एसईजेड में एक नई इकाई स्थापित करने के लिए 05 (03 पुरुष और 02 महिलाएं) रोजगार सृजन के साथ 5 वर्षों की अवधि में 64283.44 लाख रुपये और 3139.62 लाख रुपये का एनएफई आवेदन किया था। आवेदक ने केवाईसी प्रस्तुत की और समिति के समक्ष बताया कि इकाई स्वयं व्यापार कर रही है इसलिए ग्राहकों के केवाईसी का सवाल ही नहीं उठता।

Agenda Item No. 06: Application of M/s. Rising India for setting up a New Trading Unit at NSBP-FTWZ, JNPA-SEZ.

M/s. Rising India had applied for setting up of a new unit at JNPA-SEZ for Trading Activity in the area admeasuring 3000 Sq. Ft., envisaging FOB value of exports of Rs. 67423.06 Lakhs, FE outgo of Rs. 64283.44 Lakhs and NFE of Rs. 3139.62 Lakhs over a period of 5 years with employment generation of 05 nos. (03 Men & 02 Women). The applicant submitted KYC and conveyed in front of Committee that unit himself doing trading hence clients KYC does not arise.

निर्णय:- विचार-विमर्श के बाद, समिति ने एजेंडे में उल्लिखित वस्तुओं के व्यापार के लिए नई इकाई स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी और फॉर्म एफ के अनुसार इस शर्त के अधीन कि आवेदक कंपनी आयातित माल का 100% निर्यात करेगी (जैसा कि बैठक के दौरान उनके द्वारा प्रतिबद्ध था)) और निर्देश संख्या 117 दिनांक 24.09.2024 में निर्धारित दिशानिर्देशों और विकास आयुक्त, SEEPZ द्वारा जारी दिशानिर्देश का अनुपालन करेगा।

सह-डेवलपर को एक नक्शा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था जिसमें इकाई को आवंटित की जाने वाली सटीक जगह और अनुमोदन समिति की मंजूरी के बिना किसी भी अधिकृत संचालन के लिए इकाई द्वारा उपयोग की जाने वाली कोई अन्य जगह नहीं हो।

आवेदक को आगे निर्देशित किया गया कि यदि इकाई अन्य ग्राहकों की ओर से व्यापार करती है तो उन्हें गोदाम के किसी भी संचालन के सभी केवाईसी उपक्रम प्रस्तुत करने होंगे।

Decision:- After deliberation, the Committee **approved** the proposal for setting up of new unit for trading of items mentioned in agenda and as per the Form F subject to condition that the applicant company shall Export 100% of the goods Imported (as committed by them during the meeting) and shall comply with the guidelines prescribed in the Instruction No. 117 dated 24.09.2024 and the Guideline issued by Development Commissioner, SEEPZ.

The Co-Developer was directed to submit a map showing the exact space being allotted to the unit and no other space to be utilized by the unit for any of the authorized operations without approval of Approval Committee.

The applicant was further directed that if unit does trading on behalf of other clients than they should submit all KYC undertaking of any operations of warehouse.

कार्यसूची मद संख्या 07: अनुमानों में संशोधन के साथ मौजूदा अनुमोदन पत्र में स्थान जोड़ने के लिए जेएनपीए एसईजेड में मे. स्टीनवेग शराफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का आवेदन।

इकाई ने जेएनपीए एसईजेड द्वारा विकसित गोदाम संख्या 02, 04,05 और 06 एनएसबीपी-एफटीडब्ल्यूजेड, प्लॉट संख्या 406, सेक्टर-04 में 6512 वर्ग मीटर (70077 वर्ग फीट) के स्थान को जोड़ने का प्रस्ताव दिया और संशोधित संशोधन प्रस्तुत किया। निम्नानुसार अनुमान:

(लाख रुपये में)

Existing Projection				Revised Projection			
Year	Export	Import	NFE	Year	Export	Import	NFE
1st (2023-24)	450	19	431	1st (2023-24)	550	32	518
2nd (2024-25)	552	21	531	2nd (2024-25)	702	35	667
3rd (2025-26)	662	24	638	3rd (2025-26)	862	40	822
4th (2026-27)	782	28	754	4th (2026-27)	1132	47	1085
5th (2027-28)	912	34	878	5th (2027-28)	1312	58	1254
Total	3358	126	3232	Total	4558	212	4346

Agenda Item No. 07: Application of M/s. Steinweg Sharaf (India) Pvt. Ltd.. at JNPA SEZ for addition of location in the existing Letter of Approval with revision in projections.

The unit proposed addition of location admeasuring to 6512 sq. mtrs. (70077 Sq. Ft.) at warehouse No. 02, 04,05 & 06 NSBP-FTWZ, Plot No. 406, Sector-04 developed by JNPA SEZ and submitted revised projections as under:

(Rs. In Lakhs)

Existing Projection				Revised Projection			
Year	Export	Import	NFE	Year	Export	Import	NFE
1st (2023-24)	450	19	431	1st (2023-24)	550	32	518
2nd (2024-25)	552	21	531	2nd (2024-25)	702	35	667
3rd (2025-26)	662	24	638	3rd (2025-26)	862	40	822
4th (2026-27)	782	28	754	4th (2026-27)	1132	47	1085
5th (2027-28)	912	34	878	5th (2027-28)	1312	58	1254
Total	3358	126	3232	Total	4558	212	4346

Decision:- After deliberation, the Committee **approved** the proposal

<p>निर्णय:- विचार-विमर्श के बाद, समिति ने अनुमानों में संशोधन के साथ मौजूदा अनुमोदन पत्र में स्थान जोड़ने के प्रस्ताव को इस शर्त के अधीन मंजूरी दे दी कि इकाई ग्राहकों का विवरण, उनके साथ-साथ ग्राहकों द्वारा निर्यात के खिलाफ प्राप्त ग्राहकों के प्रेषण का केवाईसी प्रस्तुत करेगी।</p>	<p>for addition of location in the existing Letter of Approval with revision in projections subject to the condition that the unit shall submit the details of clients, KYC of clients, remittance received against export by them as well as by the clients.</p>
<p>कार्यसूची मद संख्या 08: सीटीएच के अध्याय शीर्ष 72 के अंतर्गत आने वाली धातु वस्तुओं के भंडारण की प्रकृति में सेवाएं प्रदान करने के लिए मे. जेएनपीए एसईजेड में नई इकाई की स्थापना के लिए मे. कुहेन + नागेल प्राइवेट लिमिटेड का आवेदन (निषिद्ध और प्रतिबंधित वस्तुओं और स्कैप को छोड़कर)।</p> <p>मे. कुहेन + नागेल प्राइवेट लिमिटेड ने एफओबी मूल्य की परिकल्पना करते हुए 3000 वर्ग फीट के क्षेत्र में एजेंडा के विवरण के अनुसार सीटीएच के अध्याय 72 (निषिद्ध और प्रतिबंधित वस्तुओं और स्कैप को छोड़कर) के अंतर्गत आने वाली धातु वस्तुओं के भंडारण के लिए एनएसबीपी एफटीडब्ल्यूजेड जेएनपीए-एसईजेड में एक नई इकाई की स्थापना के लिए 03 (02 पुरुष एवं 01 महिला) रोजगार सृजन के साथ 5 वर्षों की अवधि में 435.97 लाख रुपये का निर्यात, 116.04 लाख रुपये का एफई व्यय और 319.93 लाख रुपये का एनएफई आवेदन किया था।</p>	<p>Agenda Item No. 08: Application of M/s. Kuehne + Nagel Pvt. Ltd. for setting up of New Unit at NSBP FTWZ at JNPA -SEZ for providing services in the nature of Warehousing of Metal items falling under chapter heading 72 of CTH (except prohibited & Restricted items and scrap).</p> <p>M/s. Kuehne + Nagel Pvt. Ltd. had applied for setting up of a new unit at NSBP FTWZ, JNPA-SEZ for Warehousing in nature of Metal items falling under chapter heading 72 of CTH (except Prohibited & Restricted items and Scrap) as per details in agenda in area admeasuring 3000 Sq. Ft., envisaging FOB value of exports of Rs. 435.97 Lakhs, FE outgo of Rs. 116.04 Lakhs and NFE of Rs. 319.93 Lakhs over a period of 5 years with employment generation of 03 nos. (02 Men & 01 Women).</p>
<p>निर्णय:- विचार-विमर्श के बाद, समिति ने एजेंडे के अनुसार और फॉर्म एफ के अनुसार वस्तुओं की भंडारण गतिविधियों के लिए नई इकाई स्थापित करने के प्रस्ताव को इस शर्त के साथ मंजूरी दे दी कि आवेदक कंपनी आयातित माल का 50% निर्यात करेगी (जैसा कि उनके द्वारा प्रतिबद्ध था) बैठक) और निर्देश संख्या 117 दिनांक 24.09.2024 में निर्धारित दिशानिर्देशों और विकास आयुक्त, SEEPZ द्वारा जारी दिशानिर्देश का अनुपालन करेगा।</p> <p>सह-डेवलपर को एक नक्शा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था जिसमें यूनिट को आवंटित की जाने वाली सटीक जगह और अनुमोदन समिति की मंजूरी के बिना किसी भी अधिकृत संचालन के लिए यूनिट द्वारा उपयोग की जाने वाली कोई अन्य जगह न हो।</p> <p>आवेदक को वेयरहाउसिंग के किसी भी संचालन से पहले सभी ग्राहकों के केवाईसी को पूरा करने के लिए निर्देशित किया गया था।</p>	<p>Decision:- After deliberation, the Committee approved the proposal for setting up of new unit for warehousing activities of items as per agenda and as per the Form F subject to condition that the applicant company shall Export 50% of the goods Imported (as committed by them during the meeting) and shall comply with the guidelines prescribed in the Instruction No. 117 dated 24.09.2024 and the Guideline issued by Development Commissioner, SEEPZ.</p> <p>The Co-Developer was directed to submit a map showing the exact space being allotted to the unit and no other space to be utilized by the unit for any of the authorized operations without approval of Approval Committee.</p> <p>The applicant was further directed to subject the KYC of all clients before undertaking any operations of warehousing.</p>
<p>कार्यसूची मद संख्या 09: एनएसबीपी-एफटीडब्ल्यूजेड, जेएनपीए-एसईजेड में एक नई ट्रेडिंग यूनिट स्थापित करने के लिए मे. विपुल ऑर्गेनिक्स लिमिटेड का आवेदन।</p> <p>मे. विपुल ऑर्गेनिक्स लिमिटेड ने 640 वर्ग फुट के क्षेत्र में व्यापार के लिए जेएनपीए-एसईजेड में एक नई इकाई स्थापित करने के लिए आवेदन किया था, जिसमें 607.60 लाख रुपये के निर्यात का एफओबी मूल्य, 445.54 लाख रुपये का एफई व्यय और 5 वर्षों की अवधि में 162.06 लाख रुपये का एनएफई सृजन के साथ 04 रोजगार (02 पुरुष और 02 महिलाएं) शामिल था।</p>	<p>Agenda Item No. 09: Application of M/s. Vipul Organics Limited for setting up a New Trading Unit at NSBP-FTWZ, JNPA-SEZ.</p> <p>M/s. Vipul Organics Limited had applied for setting up of a new unit at JNPA-SEZ for Trading in area admeasuring 640 Sq. Ft., envisaging FOB value of exports of Rs. 607.60 Lakhs, FE outgo of Rs. 445.54 Lakhs and NFE of Rs. 162.06 Lakhs over a period of 5 years with employment generation of 04 nos. (02 Men & 02 Women).</p>
<p>निर्णय:- विचार-विमर्श के बाद समिति ने प्रस्ताव को स्थगित कर दिया क्योंकि इकाई ने 640 वर्ग मीटर में एक इकाई स्थापित करने का प्रस्ताव दिया था। फुट. आवेदक को उनके प्रक्षेपण के अनुपात में अपने आवेदन को संशोधित करने का निर्देश दिया गया था। साथ ही डेवलपर को प्रत्येक गोदाम के कब्जे वाले क्षेत्र और आवंटन के लिए उपलब्ध खाली क्षेत्र का विवरण देना होगा।</p>	<p>Decision:- After deliberation, the Committee deferred the proposal as the unit had proposed to set up a unit in 640 Sq. Ft. The applicant was directed to revise their application in proportionate of their projection. As well as developer should give details of occupied area of each warehouse and vacant area available for allotment.</p>
<p>अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक संपन्न हुई।</p>	<p>Meeting concluded with a vote of thanks to the Chair.</p>

PDF

Digitally signed by Dnyaneshwar Bhalchandra Patil
Date: 2024.11.06 14:54:19 IST

